सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-347/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 08 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/दहेज हत्या/गैंगेस्टर/अवैध असलहा/बलात्कार/पोक्सो आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना मुबारकपुर

पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

मुबारकपुर थाना क्षेत्र की वादिनी द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 05.09.2020 को गुलाब कुमार उर्फ लालू पुत्र लालमन निवासी भोर्रा मकबुलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ ने मेरे घर में घुसकर मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0- 181/2020 धारा- 452,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–आज दिनांक 08.9.020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ द्वारा वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में उ.नि. नागेश चौधरी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0- 181/2020 धारा- 452,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुलाब कुमार उर्फ लालू पुत्र लालमन निवासी भोर्रा मकबुलपुर थाना कन्धरापुर जनपद- आजमगढ को मोलना मोड के पास से 06.05 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 181/2020 धारा- 452,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर ,आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

गुलाब कुमार उर्फ लालू पुत्र लालमन निवासी भोर्रा मकबुलपुर थाना कन्धरापुर जनपद- आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ.नि. नागेश चौधरी थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

का0 तेजबहादुर यादव थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

का0 अविनेश कुमार थाना मुबारकपुर , जनपद-आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

छेड़खानी का अभियुक्त गिरफ्तार

मुकदमा वादिनी श्रीमती रीना चतुर्वेदी पत्नी संतोष चौबे ग्राम परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने दिनांक 05.09.2020 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि मेरे गांव के हौशिला चौबे पुत्र अमरजीत चौबे ने दिनांक 04.09.2020 को रात्रि 09.30 बजे मेरे दरवाजे पर आकर मेरा बाँह पकड़ कर छेड़खानी करने लगा मैने शोर किया तो हमको मारा पीटा गाली गुप्ता व जान मारने की धमकी दिया। इस सूचना पर मु0अ0सं0 143/2020 धारा 354क/323/504/506 भा0द0वि0 अभियुक्त हौशिला चौबे पुत्र अमरजीत चौबे ग्राम परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –आज दिनांक 08.09.2020को उ0नि0 क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबीर द्वारा बताया गया के मु0अ0सं0 143/2020 धारा 354क/323/504/506 भा0द0वि0 का नामजद अभियुक्त हौशिला चौबे पुत्र अमरजीत चौबे ग्राम परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ कही जाने के फिराक में गोपलापुर पुलिया पर खड़ा है इस सूचना पर मौके पर जाकर उक्त अभियुक्त को समय करीब 12.43 बजे नाम पता तस्दीक होने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 143/2020 धारा 354क/323/504/506 भा0द0वि0थाना कप्तानगंज, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

हौशिला चौबे पुत्र अमरजीत चौबे ग्राम परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

उ0नि0 उमेश चन्द, कां0 प्रमोद कुमार, कां0 रामआशिष राय

थाना-देवगांव

1 किलो 100 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 07.09.2020 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के क्रम में निहोरगंज में चेकिंग किया जा रहा था कि मुखविर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बनारपुर पुलिया पर नाजायज गाँजा लेकर कही बेचने जा रहा है इस सूचना पर तत्काल उ.नि. सुरेन्द्र नाथ मय हमराहियान के मौके पर पहुँचकर एक व्यक्ति को एक प्लास्टिक के झोले में 1 किला 100 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ समय करीब 14.35 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहिद अहमद पुत्र स्व0 अबुवजर उर्फ छिन्नू निवासी सलहरा थाना देवगाँव आजमगढ़

बरामदगीः-

1 किलो 100 ग्राम नाजायज गाँजा

पंजीकृत अभियोगः-

मु.अ.स. 195/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगाँव आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ.नि. सुरेन्द्र नाथ थाना देवगाँव आजमगढ़

का0 अखिलेश कुमार गौड़ थाना देवगाँव आजमगढ़

का0 दिलीप कुमार थाना देवगाँव आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर

पाक्सो एक्ट का अभियुक्त गिरफ्तार

गम्भीरपुर थाना क्षेत्र की वादिनी की पुत्री 16 वर्ष अपने नाना के घर पर रहती है को दिनांक 04.09.2020 कि रात करीब 12 बजे सोते समय गाँव के इसमेजर पुत्र श्री घूरा राम निवासी मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ जबरजस्ती उठा ले गया व उसके साथ छेड़खानी करने लगा कि लड़की द्वारा शोर करने पर वादिनी की बहन का लड़का सोनू जो ननिहाल में ही रहता है शोर सुनकर दौडते हुए गया तो वहाँ इसमेजर वादिनी की लड़की को पकड़ा था सोनू को देखकर भाग गया के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना पर मु0अ0सं0 149/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में आज दिनांक 08.09.2020 को उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह का0 रघुबीर यादव के चौकी गोसाई की बाजार से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त इसमेजर पुत्र श्री घूरा राम निवासी मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ को समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है.

पंजीकृतअभियोग-

मु0अ0सं0 149/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारअभियुक्त–

इसमेजर पुत्र श्री घूरा राम निवासी मंगरावा रायपुर, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य, का0 रघुबीर यादव

नोट- जनपद आजमढ़ के विभिन्न थानों द्वारा कुल 27 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।